भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
02.04.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 5178 का उत्तर

किसान रेल सेवाएं

5178. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसान रेल सेवा के उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गुजरात राज्य में ऐसी सेवाएं उपलब्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): किसान रेल से उचित समय में उत्पादन या अधिशेष क्षेत्रों से उपभोग या कमी वाले क्षेत्रों तक फलों और सब्जियों सहित नश्यवान वस्तुओं का आवागमन संभव हो पाता है।

दिनांक 7 अगस्त 2020 को किसान रेल सेवा के शुरू किए जाने के पश्चात रेलवे ने लगभग 2,364 किसान रेल सेवाओं का परिचालन किया है जिनमें लगभग 7.9 लाख टन नश्यवान वस्तुओं का परिवहन किया गया है। इनमें से गुजरात से देश के विभिन्न हिस्सों में 65 सेवाएं परिचालित की गई हैं, जिनमें 18,250 टन (लगभग) फल और सब्जियों की ढुलाई की गई हैं।

सब्जियों, फलों और अन्य नश्यवान वस्तुओं के आवागमन के लिए संभावित रेल सर्किटों की पहचान कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकारों के कृषि/पशुपालन/मत्स्य पालन विभागों के साथ-साथ स्थानीय निकायों और एजेंसियों, मंडियों आदि के परामर्श से की जाती है और प्रतिफल, परिचालनिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए मांग के आधार पर किसान रेल सेवाओं की योजना बनाई जाती है।

****